रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 484] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 1974/अग्रहायण 6, 1896
No. 484] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 1974/AGRAHAYANA 6, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

ORDER

New Delhi, the 27th November 1974

S.O. 677(E)/15/IDRA/74.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 551(E)/15/IDRA/73, dated the 17th October, 1973, namely:—

In the fourth paragraph of the said Order, for the words "Twelve weeks", the words "upto the 28th February, 1975", shall be substituted.

[No. F. 2/13/73-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1974

का० आ० 677 (अ)/15/आई डी आर ए/74.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मन्त्रालय के आदेश सं० फा० आ० 551/(ई)/15/आई० डी० आर० ए०/73 तारीख 17 अक्टूबर, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के चतुर्थ परन्तुक में, "बारह सप्ताह" शब्दों के स्थान पर "28 फरवरी 1975 तक" शब्द रखे जायेंगे ।

[सं० फा० 2/13/73-सी० पी०]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974